न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी जिला नागौर
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस
रा.प्रा.पत्र संख्या 43/2023

प्रार्थी :-
1- लिछुड़ी पत्नी स्व.भगवानराम जाति जाट
निवासी जैजासनी तहसील रियांबड़ी

अप्रार्थीगण :-
1-निम्बाराम पुत्र रामूराम
2-जगदीश पुत्र निम्बाराम
3-कपिलदेव पुत्र निम्बाराम
4-कमला पुत्री निम्बाराम
5-मिस्साराम पुत्र भगवानराम
6-मंजु पुत्री भगवानराम
7-सरिता पत्नी कपिलदेव
जातियान जाट निवासीगण जैजासनी तहसील रियांबड़ी जिला नागौर।
8-तहसीलदार रियांबड़ी
9- पटवारी हल्का सैसड़ा तहसील रियांबड़ी जिला नागौर
10-उप पंजियक रियांबड़ी।

वकील प्रार्थी :- श्री रामकिशोर कांसनीया
वकील अप्रार्थी संख्या- 1,3,7-श्री उगमाराम खालिया

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :- 12/4/24

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन करता है कि :-

वकील प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र व वाद अनवान सदर का पेश किया गया। जो बहुत ही मजबूत बिनाय पर है जिसमें कामयाबी मिलने की पूरी पूरी आशा है। प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 एक ही परिवार के सदस्य है। मौजा जैजासनी के खसरा नंबर जागीर के खसरा नंबर 14 रकबा 0.0400 हैक्टर,खसरा नबर 16/223 रकबा 0.5100 हैक्टर,खसरा नंबर 18 रकबा 00400 हैक्टर,खसरा नंबर 229/17 रकबा 0.1900 हैक्टर,खसरा नंबर 33 रकबा 0.2900 हैक्टर,खसरा नंबर 66 रकबा 0.0100 हैक्टर,खसरा नंबर 225/15 रकबा 0.7400 हैक्टर की भूमि आई हुई है जो अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज है। वादग्रस्त आराजी पहले प्रार्थीनी के दादा ससुर स्व. रामूराम जी की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद थीं रामुराम के देहानत के बाद वादग्रस्त खसरान की भूमि प्रार्थीनी व अप्रार्थी संख्या 5 व 6 के पति व पिता भगवानराम व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 को उतराधिकार में प्राप्त हुई। जिस पर प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 की संयुक्त काश्त व कब्जासुद है जिसमें प्रार्थीनी व अप्रार्थी संख्या 1 से 6 का समान हक व हिस्सा है।

वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज है। लेकिन वादग्रस्त आराजी प्रार्थीनी व अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के पूर्वजो की भूमि है। जिसमें उनको जन्म से ही अधिकार प्राप्त है। वादग्रस्त आराजी का अभी विधिवत बंटवारा नही हो रखा है। जिसका बंटवारा किया जाकर 1/4 हिस्सा पर प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण संख्या 5 व 6 का सेपरेट पजेशन कायम करवाया जावें। लेकिन वादग्रस्त आराजी की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज है। इसलिए उनकी नियत में फर्क आ गया और अप्रार्थीगण संख्या 2 से 4 व 7 अप्रार्थी संख्या 1 की कमजोरी का फायदा उठाकर उक्त सम्पूर्ण भूमि का बेचान करवाने पर आमादा है। कुछ भूमि कीखातेदारी अप्रार्थी संख्या 7 के नाम करवा दी। प्रार्थीनी व अप्रार्थी गण संख्या 5 व 6 को उनके हिस्से से महरूम करने पर आमदा है।

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला-नागौर

प्रार्थीनी को उसके हिस्से से बेदखल करना चाहते है। अगर अप्रार्थीगण अपने नापाक इरादो मे कामयाब होगये तो प्रार्थीनी को अपूर्णीनीय क्षति होगीं और उनके हिता पर कुठाराघात होगा।

प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीनी के पक्ष में मजबूत है। क्योंकि वादग्रस्त खसरान की भूमि प्रार्थीनी की संयुक्त खातेदारी काश्त व कब्जासुद है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीनी के पक्ष में है। अगर अप्रार्थीगण अपने नापाक इरादो में सफल हुए तो अपूर्णीनीय क्षति भी प्रार्थीनी को होगी। इसलिए प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनी का प्रा.पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणो कोजबाब हेतू जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1,3,7 की ओर से वकील उगमाराम खालिया ने वकालतनामा व जबाब पेश किया गया। वकील अप्रार्थी ने अपने जबाब में बताया गया कि वादग्रस्त खसरान की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की स्वअर्जित भूमि है जिसे अप्रार्थी संख्या 1 ने लाबुराम,सोहनराम पिता घासीराम जवानाराम पुत्र खींवराज से खरीद की थी। जिसका इन्द्राज भी नामान्तकरण संख्या 221 से खतौनी संवत् 2051–2055 में दर्ज किया जो संलग्न है।

वादग्रस्त खसरान की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी अधिकार की आई हुई है। अप्रार्थीगण संख्या 3 से 7 के द्वारा ही अप्रार्थी संख्या 1 की सार सम्भाल की जा रही है। वादग्रस्त खसरान की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की खरीदसुदा स्व अर्जित भूमि है जिसमें प्रार्थीनी व अन्य अप्रार्थीगण को कोई हक व हिस्सा नहीं है। वर्तमान में कब्जा काश्त अप्रार्थीगण जबाबदेहिन्दा का काश्त व कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थीनी ने गलत व झूठे तथ्य पेश कर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जो काबिल खारिज है।

वकील प्रार्थीया अनुपस्थित। वकील अप्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी संख्या 1,3,7 ने अपनी बहस में बताया गया कि वादग्रस्त आराजी कीखातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की काश्त व क़ब्जासुद है। जो उनकी स्वअर्जित भूमि है जिसका नामान्तकरण 221 के द्वारा खातेदारी हुई है। मौक पर काश्त व काबिज चले आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त आराजी का रेकोर्डेड खातेदार है। प्रार्थीनी को रेकोर्डेड खातेदार के विरूध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त की है जबकि उनको कोई अधिकार नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में मजबूत है। सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में प्रतीत होता है। अगर अप्रार्थी संख्या 1 को उनकी खातेदारी भूमि से अप्रार्थी को बेदखल किया जाता है तो अपूर्णीनीय क्षति भी अपार्थीगण को कारित होगीं। अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

वकील अप्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलबध राजस्व रेकार्ड व अन्य अप्रार्थीगण द्वारा दस्तावेजात का अवलोकन किया गयां। समस्त विवेचन से यह पाया गया कि वादग्रस्त आराजी की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है और वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 की खरीदसुदा आराजी है जो स्वअर्जित है जिसमें उनके उतराधिकारीगण को हक पाने का कोई हक अधिकार नहीं है। प्रार्थीनी ने एक रेकार्डेड खातेदार के विरूध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त की है जो उचित प्रतीत नहीं होती है। रेकोर्डेड खातेदार के विरूध अस्थायी निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद के पुख्ता उचित नही है।

अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीनी के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण संख्या 1 के पक्ष में मजबूत है क्योंकि वह रेकोर्डेड खातेदार है। सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में है क्योंकि उसका वादग्रस्त आराजी पर काश्त व कब्जा है। अगर अप्रार्थी संख्या 1 को उनकी खातेदारी भूमि से बेदखल कर दिया जावेगा तो अपूर्णीनीय क्षति होगी। अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का खारिज किया जाता है। पूर्व आदेश दिनांक 21.03. 2023 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक...19/4/2024.....को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी